



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268630
CG-DL-E-19122025-268630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5693]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947

No. 5693]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5889(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2504 (अ) तारीख 29.05.2025 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में श्रीकाकुलम-अंगुल पाइपलाइन (एस ए पी एल) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

श्रिकाकुलम –अनगुल गैस पाईपलाईन								
भुमि अनुसुचि								
जिला- रायगडा		राज्य : ओडिशा						
तहसील का नाम	गाँव का नाम- थाना नं.	सर्वे नं	अधिसूचित क्षेत्र			संशोधितक्षेत्र		
			हेक्टर	आरे.	वर्गमीटर	हेक्टर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
काशिपुर	फटागड-124	383	00	00	61	00	04	72
		351	00	00	03	00	08	91
काशिपुर	फुलजुवा-125	969	00	08	65	00	12	10
		973	00	02	47	00	04	07
		1025	00	06	09	00	07	23
		1024	00	06	15	00	06	55
		1034	00	08	84	00	09	35
जिला- कोरापुट		राज्य : ओडिशा						
लक्ष्मीपुर	निशार-43	65	00	00	00	00	03	63
		64	00	00	00	00	00	50
		62	00	07	81	00	11	21
		59	00	00	00	00	01	29
		57	00	00	00	00	13	76
		58	00	00	00	00	46	90
लक्ष्मीपुर	डोलिआम्ब-42	91	00	05	65	00	08	41
लक्ष्मीपुर	राउलीपदर-51	535/575	00	08	63	00	14	78
		551	00	08	86	00	16	98
लक्ष्मीपुर	टीमाझोला-52	78	00	00	71	00	03	28
		70	00	11	53	00	19	76

[फा. सं. -एल-14014/156/2022-जीपी-II (ई-43767)]

रामजीलाल मीना, अवसरसचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2025

S.O. 5889(E).— Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 2504 (E) dated. 29.05.2025 issued under sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intension to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam-Angul Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India.

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the specified in the Schedules appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from encumbrances.

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPE LINE								
LAND SCHEDULE								
District- Rayagada		State: Odisha						
Name of Tehsil	Name of Village-Thana no.	Survey No.	NOTIFIED AREA			REVISED AREA		
			Hector	Are.	Sq.mtr.	Hector	Are.	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kashipur	Phatagada-124	383	00	00	61	00	04	72
		351	00	00	03	00	08	91
Kashipur	Phuljuba-125	969	00	08	65	00	12	10
		973	00	02	47	00	04	07
		1025	00	06	09	00	07	23
		1024	00	06	15	00	06	55
		1034	00	08	84	00	09	35
District- Koraput		State: Odisha						
Laxmipur	Nisar-43	65	00	00	00	00	03	63
		64	00	00	00	00	00	50
		62	00	07	81	00	11	21
		59	00	00	00	00	01	29
		57	00	00	00	00	13	76

		58	00	00	00	00	46	90
Laxmipur	Doliamba-42	91	00	05	65	00	08	41
Laxmipur	Raulipadar-51	535/575	00	08	63	00	14	78
		551	00	08	86	00	16	98
Laxmipur	Timajhola-52	78	00	00	71	00	03	28
		70	00	11	53	00	19	76

[F. No. L-14014/156/2022-GP - II (E- 43767)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.